व्हिसल ब्लोअर नीति

1. प्रस्तावना

1.1 यह नीति कर्मचारियों और निदेशकों को बोर्ड की ऑडिट कमेटी तक अपनी बात पहुंचाने का एक अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है, यदि वे कंपनी में अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या अन्य किसी गलत आचरण को देखते हैं। साथ ही यह नीति कर्मचारियों या निदेशकों को ऐसी स्थिती में कार्मिक प्रबंधन के प्रतिशोध और प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने और उसके द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोकने के लिए तैयार की गई है।

1.2 सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ गैर-सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों और निदेशकों को बोर्ड की ऑडिट कमेटी तक अपनी बात पहुंचाने का एक अवसर प्रदान करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर नीति बनाने के लिए तंत्र तैयार करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं , यदि कर्मचारी और निदेशक कंपनी में अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या अन्य किसी गलत आचरण को देखते हैं। तदनुसार यह व्हिसल ब्लोअर नीति (अब से नीति कहा जाएगा) तैयार की गई है ताकि कर्मचारियों और निदेशकों को बोर्ड की ऑडिट कमेटी (बोर्ड की ऑडिट कमेटी की अनुपस्थिति में निदेशक मंडल के समक्ष)तक अपनी बात पहुंचाने का एक अवसर प्रदान किया जा सके, यदि वे कंपनी में अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या अन्य किसी गलत आचरण को देखते हैं।

2. प्रयोज्यता

यह नीति कंपनी के सभी कर्मचारियों और निदेशकों पर लागू होती है।

3. नीति

3.1 इस नीति का उद्देश्य है कि कर्मचारियों और निदेशकों को कार्मिक प्रबंधन के प्रतिशोध और प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान की जा सके यदि वे कंपनी में अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या अन्य किसी गलत आचरण को देखते हैं और इसे ऑडिट कमेटी के समक्ष व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत प्रकट करते हैं । साथ ही यह नीति कर्मचारियों या निदेशकों को ऐसी स्थिती में कार्मिक प्रबंधन को कर्मचारियों अथवा निदेशकों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोकने के लिए तैयार की गई है ।

3.2 किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या कथित गलत आचरण के सदाशयता में प्रकटीकरण के प्रतिशोध में एक कर्मचारी या निदेशक के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई या सिफारिश नहीं की जाएगी। यह नीति ऐसे कर्मचारियों या निदेशकों को अनुचित सेवा समाप्ति और अनुचित पूर्वाग्रही सेवा/रोजगार प्रथाओं से बचाती है।

3.3 पूर्ण स्पष्टता के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि बीएसएनएल में पहले से मौजूद सतर्कता तंत्र को कमजोर करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति किसी भी तरह से प्रभावी नहीं है। मौजूदा सतर्कता तंत्र के अतिरिक्त यदि इस नीति के तहत एक कर्मचारी या निदेशक द्वारा किए गए किसी भी संरक्षित प्रकटीकरण में यदि सतर्कता तंत्र से संबंधित कोई पहलु होगा तो मौजूदा अभ्यास के अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीएसएनएल को इस संदर्भ को भेजा जाएगा।

3.3 हालाँकि, यह नीति किसी कर्मचारी या निर्देशक को एक ऐसी प्रतिकूल कार्रवाई से नहीं बचाती है, जो अनैतिक और अनुचित व्यवहार या कथित गलत आचरण, खराब कार्य प्रदर्शन, किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के प्रकटीकरण से स्वतंत्र होता है, जो इस नीति के अनुरूप नहीं है।

4. परिभाषाएं

4.1 बीएसएनएल और/या कंपनी का मतलब है भारत संचार निगम लिमिटेड।

4.2 बोर्ड की ऑडिट कमेटी का अर्थ है बीएसएनएल के निदेशक मंडल द्वारा गठित बोर्ड की ऑडिट कमेटी, जैसा की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए एवं गैर-सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के प्रावधानों में निहित है।

4.2 सक्षम प्राधिकारी का अर्थ है बीएसएनएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कोई भी व्यक्ति जिसे वह समय-समय पर इस नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपनी किसी भी शक्ति को सौंपते हैं। हितों के टकराव के मामले में (सीएमडी यदि विषय व्यक्ति हैं) सक्षम प्राधिकारी से आशय बोर्ड की ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष से है ।

4.4 "कर्मचारी" का अर्थ है कंपनी के कर्मचारी जो समय-समय पर संशोधित बीएसएनएल सीडीए नियमों में परिभाषित होते हैं।

4.4(ए) "निदेशक" का अर्थ किसी कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशक से है, जैसा कि कंपनी अघिनियम 2013 की धारा 2 (32) एवं इसके अंतर्गत फिर से लागू , संशोधनों नियमों के तहत परिभाषित किया गया है।

4.5 "अनुचित गतिविधि" का अर्थ है अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन, जैसा कि कंपनी के सीडीए नियमों में उल्लिखित है या किसी कर्मचारी या निदेशक द्वारा बोर्ड के सदस्यों / वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता है।

4.6 "कथित रूप से गलत कार्रवाई", से अर्थ है कानून का उल्लंघन, बोर्ड के सदस्यों के लिए निर्दिष्ट आचार संहिता का उल्लंघन जैसा सीडीए नियम में दिया है , या कुप्रबंधन, धन की हेराफेरी, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में विशिष्ट खतरे संबंधी नियमों का उल्लंघन होना, या अधिकार का दुरुपयोग।

4.7 "प्रतिकूल वैयक्तिक कार्रवाई" का अर्थ है रोजगार से संबंधित कार्य या निर्णय या प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा उचित कार्रवाई करने में विफलता जो कर्मचारी या निदेशक के रोजगार को प्रभावित कर सकती है, जिसमें मुआवजा वृद्धि, पदोन्नति, नौकरी का स्थान, नौकरी प्रोफ़ाइल, प्रतिरक्षा, तक सीमित नहीं है , प्रशिक्षण या, अन्य विशेषाधिकार भी सम्मिलित हैं।

4.8 "जांचकर्ताओं" का अर्थ उन लोगों से है जो बोर्ड के अध्यक्ष / अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकारी निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत, नियुक्त, परामर्शित व्यक्ति या एक संरक्षित प्रकटीकरण की जाँच के संबंध में कंपनी के सांविधिक / लेखा परीक्षक जैसा की भारत की केंद्र सरकार / सी एंड एजी द्वारा नियुक्त हैं।

4.9 "संरक्षित प्रकटीकरण" का अर्थ है सद्भाव में किया गया कोई भी प्रकटीकरण जो की , अनैतिक और अनुचित प्रथाओं के साक्ष्य के रूप में या कंपनी में किसी भी अन्य गलत आचरण के बारे में जानकारी का खुलासा या प्रदर्शित करता है।

4.10 "स्क्रीनिंग कमेटी" का अर्थ है बीएसएनएल की व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत गठित एक समिति, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं, या, उनकी अनुपस्थिति में, सीएमडी द्वारा नामित एक कार्यात्मक निदेशक और बोर्ड की अध्यक्ष ऑडिट कमेटी , या, उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड की ऑडिट कमेटी का सदस्य, जिसे बोर्ड के ऑडिट कमेटी द्वारा नामित किया हो ।

4.11 "सद्भावना " - एक कर्मचारी या निदेशक सद्भावना में सूचना दे रहा है यह समझा जाएगा, अगर कंपनी में अनैतिक और अनुचित गतिविधियों या किसी अन्य गलत आचरण के ऐसी सूचना का एक उचित/तर्कसंगत आधार है।

जब कर्मचारी या निर्देशक के पास सूचना का तथ्यात्मक आधार का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं होता है या कर्मचारी या निर्देशक को पता था या यथोचित रूप से पता होना चाहिए था कि कि अनैतिक और अनुचित गतिविधियों या कथित गलत आचरण के बारे में सूचना सही नहीं है या सद्भावनापूर्ण नहीं है तो यह माना जाएगा की सद्भावना का अभाव है।

4.12 "विषय" का अर्थ एक कर्मचारी या निदेशक-अधिकारी / कर्मचारी जिसके खिलाफ या जिनके संबंध में एक संरक्षित प्रकटीकरण किया गया है या जांच के दौरान सबूत एकत्र किए गए हैं।

4.13 "व्हिसलब्लोअर" का अर्थ है इस नीति के तहत एक कर्मचारी या निदेशक जो संरक्षित प्रकटीकरण करता है ।

5. मार्गदर्शक सिद्धांत

5.1 संरक्षित प्रकटीकरण पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी ।

5.2 व्हिसलब्लोअर की पूर्ण गोपनीयता रखी जाएगी ।

5.3 व्हिसलब्लोअर और / या संरक्षित प्रकटीकरण पर कार्रवाई करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

5.4 संरक्षित प्रकटीकरण के साक्ष्य को छुपाया नहीं जाएगा और साक्ष्य छुपाने या नष्ट करने के प्रयासों के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।

5.5 संरक्षित प्रकटीकरण का 'विषय' अर्थात्, निदेशक या कर्मचारी जिसके खिलाफ या जिसके संबंध में संरक्षित प्रकटीकरण किया गया है, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

5.6 व्हिसल ब्लोअर को किसी भी अनैतिक और अनुचित गतिविधियों या कंपनी के किसी अन्य गलत आचरण को जल्द से जल्द सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए। हालाँकि उन्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनके पास विषय के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए।

6. विसलब्लोअर - भूमिका और सुरक्षा

6.1 व्हिसलब्लोअर पूरी गोपनीयता रखते हुए, जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।

6.2 व्हिसलब्लोअर की भूमिका विश्वसनीय सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की है।

6.3 व्हिसलब्लोअर से अपने स्तर पर कोई जांच करने की आवश्यकता या अपेक्षा नहीं है।

6.4 व्हिसलब्लोअर भी जांच से जुड़ सकता है, अगर मामले में ऐसी अपेक्षा है तो । हालाँकि, उसे भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

6.5 संरक्षित प्रकटीकरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से निपटाया जाएगा।

6.6 व्हिसलब्लोअर को कानूनी या अन्य कारणों की बाध्यता ना हो तो अपने प्रकटीकरण के निपटान के बारे में सुचित किए जाने का अधिकार है ।

सुरक्षा

7.1 वास्तविक व्हिसलब्लोअर को किसी भी तरह के उत्पीड़न / अनुचित व्यवहार / उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि प्रेरित और तुच्छ खुलासे को हतोत्साहित किया जाएगा।

7.2 यदि व्हिसलब्लोअर को आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में सबूत देने की आवश्यकता है, तो प्रक्रिया के बारे में सलाह प्राप्त करने के लिए व्हिसलब्लोअर के लिए व्यवस्था की जाएगी। उपरोक्त के संबंध में व्हिसलब्लोअर द्वारा किए गए खर्च, यात्रा आदि के लिए सामान्य अधिकारों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.3 एक व्हिसलब्लोअर ऊपर खंड 7.2 के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को कर सकता है जो उसी की जांच कर सकता है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

7.4 उक्त जांच में सहायता करने वाले किसी भी अन्य कर्मचारी या निदेशक को भी व्हिसलब्लोअर की तरह ही संरक्षित किया जाएगा।

8. प्रक्रिया-आवश्यकता और संरक्षित प्रकटीकरण का निपटान

8.1 संरक्षित प्रकटीकरण / शिकायत को व्हिसलब्लोअर / शिकायतकर्ता की पहचान वाले पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए उसका नाम, कर्मचारी या निदेशक का एचआरएमएस नंबर और स्थान, एक लिफाफे पर लिखा जाना चाहिए जिसे बंद / सुरक्षित/ सील होना चाहिए। इस प्रकार सुरक्षित / सील लिफाफा सक्षम अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए और उस पर "संरक्षित प्रकटीकरण" लिखा जाना चाहिए।(यदि

लिफाफा के ऊपर लिखा नहीं है " और वह बंद / सील / सुरक्षित नहीं है, तो इस नीति के तहत व्हिसलब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं होगा)।

8.2 यदि व्हिसलब्लोअर का मानना है कि सक्षम प्राधिकारी और व्हिसलब्लोअर के बीच हितों का टकराव है, तो वह सीधे बोर्ड की ऑडिट समिति, कंपनी सचिव और वरिष्ठ जीएम (कानूनी) बीएसएनएल को अपना संरक्षित खुलासा भेज सकता है।

8.3 बेनामी या छद्म सुरक्षित प्रकटीकरण पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8.4 संरक्षित प्रकटीकरण अंग्रेजी, हिंदी या व्हिसलब्लोअर के रोजगार के स्थान की क्षेत्रीय भाषा में टाइप या लिखित रूप में होना जानी चाहिए और कंपनी में किसी भी अनैतिक और अनुचित गतिविधियों या किसी अन्य गलत आचरण की स्पष्ट समझ प्रदान करने वाला होना चाहिए।रिपोर्टिंग तथ्यात्मक होनी चाहिए और इसकी प्रकृति कयास़ात्मक नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रारंभिक समीक्षा और उचित मूल्यांकन की अनुमति के लिए यथासंभव प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए।

8.5 किसी भी अनुचित गतिविधि की जांच जो कि लोक सेवकों की पूछताछ अधिनियम, 1850 के तहत जांच या आदेश का विषय है या जांच अधिनियम, 1952 के आयोगों के तहत आता है वह इस नीति के दायरे में नहीं आएगी।

8.6 संरक्षित प्रकटीकरण को संबोधित करने और भेजने के लिए सक्षम प्राधिकारी का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:

अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक,
सक्षम प्राधिकारी, व्हिसलब्लोअर तंत्र,
भारत संचार निगम लिमिटेड,
तीसरा तल, भारत संचार भवन,
एच.सी.माथुर लेन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

8.7 बोर्ड की अध्यक्ष ऑडिट कमेटी को संरक्षित प्रकटीकरण संबोधित करने के लिए संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

अध्यक्ष, बोर्ड ऑडिट कमेटी,
द्वारा सचिव एवं वरिष्ठ महाप्रबंधक विधि,

भारत संचार निगम लिमिटेड,
तीसरा तल, भारत संचार भवन,
एच.सी.माथुर लेन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

8.8 सक्षम अधिकारी एक समर्पित गोपनीय अनुभाग को संरक्षित प्रकटीकरण वाले लिफाफे को चिह्नित करेगा, जो उसके रिकॉर्ड को बनाए रखेगा और स्क्रीनिंग कमेटी को भी प्रस्तुत करेगा।

8.9 स्क्रीनिंग कमेटी तथ्यहीन/तुच्छ शिकायतों को हटाते हुए ऐसे संरक्षित प्रकटीकरणों की जांच को आगे अन्वेषक / अन्वेषकों को भेजेगी जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता होगी।

8.10 स्क्रीनिंग कमेटी यथासंभव संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उस विचार करने के लिए बैठेगी/प्रयास करेगी।

9. जांच और जांचकर्ताओं की भूमिका

9.1 प्रारंभिक समीक्षा के बाद स्क्रीनिंग कमेटी संतुष्ट होने पर जांच शुरू की जाएगी:

(ए) कथित कृत्य/कार्य कंपनी में किसी भी अनैतिक और अनुचित गतिविधियों या किसी अन्य गलत आचरण का गठन करता है, और

(बी) आरोप का समर्थन सूचना द्वारा किया जाता है जो विशिष्ट है और जिसकी जांच आवश्यक है या ऐसे मामलों में जहां आरोप विशिष्ट जानकारी द्वारा समर्थित नहीं है; यह महसूस किया जाता है कि संबंधित मामला जांच का हकदार है।

9.2 जांच करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय स्वयं आरोप के रूप में नहीं माना जाएगा और इसे तटस्थ तथ्य खोजने की प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा।

9.3 विषय/विषयों और व्हिसलब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।

9.4 विषय/विषयों को सामान्य रूप से औपचारिक जांच शुरू होने पर आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और जांच के दौरान उनका पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

9.5 विषय/विषयों का यह कर्तव्य होगा कि जांच के दौरान जांचकर्ताओं के साथ इस हद तक सहयोग करें कि इस तरह के सहयोग से लागू कानूनों के तहत उपलब्ध आत्म उत्पीड़न सुरक्षा से समझौता नहीं होगा।

9.6 विषयों की जिम्मेदारी है कि वे जांच में हस्तक्षेप न करें। साक्ष्य को रोका, नष्ट या उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और साक्षी को प्रभावित, प्रशिक्षित, धमकी या विषयों द्वारा डराया नहीं जाएगा।

9.7 जब तक ऐसा करने के लिए गंभीर कारण नहीं हैं, तब तक विषयों को एक जांच रिपोर्ट में समाने आई सामग्री, निष्कर्षों का जवाब देने का अवसर दिया जाएगा।जब तक आरोप के समर्थन में कोई अच्छा सबूत न हो, तब तक किसी विषय के प्रति गलत व्यवहार का आरोप कायम नहीं किया जाएगा।

9.8 संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर सामान्य रूप से जांच पूरी हो जाएगी या सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में विस्तारित अवधि की अनुमति दे सकता है जिसके लिए कारणों को दर्ज करना होगा।

9.9 विषय/विषयों को जांच के परिणाम के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

जांचकर्ताओं की भूमिका

9.10 जांचकर्ताओं को तथ्य खोजने और विश्लेषण की दिशा में एक प्रक्रिया का संचालन करना आवश्यक है। जांचकर्ताओं को सक्षम प्राधिकार से अपने अधिकार प्राप्त होंगे, जब वे जाँच के दौरान कार्यरत होंगे । जांचकर्ता सक्षम अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

9.11 सभी जांचकर्ता एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे। जांचकर्ता निष्पक्षता,समग्रता, संपूर्णता, नैतिक व्यवहार और उच्चतम पेशेवर मानकों के पालन के सिद्धांतों से बंधे होंगे।

<u>**कार्रवाई**</u>

9.12 यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि जांच अनुचित गतिविधि के अस्तित्व का खुलासा करती है जो कानून में दंडनीय अपराध है, तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित प्राधिकारी को मामले को मुख्य सतर्कता अधिकारी बीएसएनएल को संदर्भित करने सहित लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

9.13 सक्षम प्राधिकारी ऐसी अन्य सुधारात्मक कार्रवाई करेगा जैसा कि संरक्षित प्रकटीकरण में उल्लिखित अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए और इस तरह की अनुचित गतिविधि की पुनर्रावृत्ती को रोकने के लिए उपयुक्त माना जाता है।

9.14 यदि जांच से पता चलता है कि संरक्षित प्रकटीकरण पर कोई और कार्रवाई नहीं हुई है, तो रिपोर्ट गोपनीय सचिव द्वारा निदेशक (एचआर) को की जाएगी।

<u>**10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करना**</u>

सक्षम प्राधिकारी प्राप्त संरक्षित प्रकटीकरणों जिनपर जांच एंव कार्रवाई की गई हो को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा।

कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी इकाइ प्रमुखेां और फील्ड इकाइयों के प्रमुखों को उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को इस नीति के अस्तित्व और सामग्री से ज्ञात कराने की आवश्यकता है। व्हिसलब्लोअर पॉलिसी को सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों / संघों को परिचालित किया जाएगा और कंपनी के सभी नोटिस बोर्डों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। यह नीति, जिसमें संशोधन भी शामिल है, को कंपनी के इंट्रानेट पोर्टल, कंपनियों की वेबसाइट यानी www.bsnl.co.in पर आईटी शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी वार्षिक रूप से पुष्टि करेगी कि उसने किसी भी कर्मचारी या निदेशक को ऑडिट कमेटी तक पहुंचने से वंचित नहीं किया है और उसने प्रतिकूल कार्रवाई से व्हिसलब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की है। पुष्टि, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट का हिस्सा होगी।

इस नीति को किसी भी समय कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस तरह के संशोधनों को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को भी सूचित किया जाएगा।